न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कि0रेनवाल जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनीता मीणा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 313/2016 **दायर तारीख :– 22.09.2016**

1. नारायणसिंह पुत्र जोरसिंह
2. गणपतसिंह पुत्र जोरसिंह
3. गंगासिंह पुत्र जोरसिंह
4. गोविन्दसिंह पुत्र जोरसिंह

समस्त जाति राजपूत नि0 प्रतापपुरा तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.

वादीगण

बनाम

1. रतनकंवर बेवा छोगसिंह जाति राजपूत नि0 प्रतापपुरा (नाम हजफ)
2. मुकेश शर्मा पुत्र भंवरलाल शर्मा बागड़ा ब्राहमण नि0 नांदरी तहसील कि0रेनवाल
3. रमेश कुमार चौधरी पुत्र भगवानसहाय जाति जाट नि0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.
4. तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :– श्री लक्ष्मणसिंह, अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक 18/7/16

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण आपस में सगे भाई है एवं स्व0 जोरसिंह पुत्र मस्तानसिंह की संताने है एवं संयुक्त हिन्दू परिवार के मुश्तर्का खानदान के सदस्य है। आराजी खं0नं0 115 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 मुण्डियागढ़ गि0ह0 रेनवाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज. में स्थित है जिस पर पर्चा सेटलमेन्ट के पूर्व व वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट वादीगण का पिता जोरसिंह पुत्र मस्तानसिंह काबिज काश्त था परंतु पर्चा सहवन से पांचो भाईयों के नाम से आ गया जो कि जोरसिंह के नाम पर्चा खातेदारी उसके नाम जारी किया जाना चाहिए था किन्तु नामान्तकरण सं0 62 दिनांक 27.10.72 के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 रतनकंवर ने गलत आधारों पर उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम से अंकन करा ली जबकि उसका न तो किसी भाग पर कब्जा था न कभी रहा जब तक जोरसिंह जीवित रहा उसका व उसके स्वर्गवास बाद वादीगा जो उसके जायंदा पुत्र है बहैसियत काश्तकार मौके पर वास्तविक भौतिक रूप से काबिज चले आ रहे है। राजस्व रिकोर्ड में नामान्तकरण सं0 62 दिनांक 27.10.72 के आधार पर खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 ने अपने नाम दर्ज करा लेने से उसकी नियत खराब हो गयी ओर वह अपने उद्देश्य में कब्जा करने में कामयाब न होने व उसने बिना कब्जें गलत खातेदारी के आधार पर जरिये नुमाईशी बेचान पत्र दिनांक 11.09.12 को प्रतिवादी सं0 2 व 3 को 11,00,000 रूपये प्रतिफल अंकित करते हुये उप पंजीयक रेनवाल के यहा निष्पादित/ पंजीकृत करा दिया जबकि विक्रय अनुसार न तो कब्जा प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी सं0 2 व 3 को दिया न विक्रय के दिन प्रतिवादी सं0 1 का कोई कब्जा था अपितु वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट व उसके बाद काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय पहले जोरसिंह का व उसके बाद वादीगण सं0 1 लगा0 4 का मुतवातिर चला आ रहा है अतः वादी कथित बेचान पत्र दिनांक 11.09.12 एवं उसके आधार पर खुलाये गये नामान्तकरण सं0 373 दिनांक 20.09.12 से कतई पाबंद नहीं है व कथित बेचान बमुकाबलें वादी बातिल व बेअसर होने से शून्य है। राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम दर्ज हो जाने से अब वह बलपूर्वक कब्जा करने व वादीगण को बेदखल करना चाहते है इस गरज से दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

25.09.12 को प्रतिवादी सं0 2 व 3 प्रतिवादी सं0 1 को साथ लेकर विवादग्रस्त आराजी पर आये व कब्जा करने व वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी व नामान्तकरण के आधार पर अन्य को विक्रय करने की धमकी दी व वादीगण के अधिकारों से इंकार किया अतः यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी/स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 उपस्थित है परंतु जवाब दावा पेश न करने पर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 का जवाब बन्द किया जाता है प्रतिवादी सं0 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं0 1 के फौत होने पर उसका नाम हजफ किया गया।

3. वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी, गिरदावरी संवत् 2068 से 2071, नक्शा ट्रेस, गिरदावरी सवंत् 2012, 2013, 2014 जिस पर वादीगण के पिता का नाम है, गिरदावरी संवत् 2017, 2018, 2019, गिरदावरी संवत् 2028 से 2031, गिरदावरी संवत् 2032 से 2035, विक्रय पत्र, लगान की रसीदें, वर्तमान जमाबन्दी पेश की है तथा वकील वादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी नारायणसिंह व गवाह बोदूराम, नन्दकिशोर, जसवन्तसिंह के शपथ पत्र पेश कर बयान लेखबद्व करवाये गये।

4. बहस वकील वादीगण की सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दौहरातें हुए कथन किया कि वादीगण आपस में सगे भाई है एवं स्व0 जोरसिंह पुत्र मस्तानसिंह की संताने है एवं संयुक्त हिन्दू परिवार के मुश्तर्का खानदान के सदस्य है। आराजी खं0नं0 115 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 मुण्डियागढ़ गि0ह0 रेनवाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज. में स्थित है जिस पर पर्चा सेटलमेन्ट के पूर्व व वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट वादीगण का पिता जोरसिंह पुत्र मस्तानसिंह काबिज काश्त था परंतु पर्चा सहवन से पांचो भाईयों के नाम से आ गया जो कि जोरसिंह के नाम पर्चा खातेदारी उसके नाम जारी किया जाना चाहिए था किन्तु नामान्तकरण सं0 62 दिनांक 27.10.72 के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 रतनकंवर ने गलत आधारों पर उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम से अंकन करा ली जबकि उसका न तो किसी भाग पर कब्जा था न कभी रहा जब तक जोरसिंह जीवित रहा उसका व उसके स्वर्गवास बाद वादीगा जो उसके जायंदा पुत्र है बहैसियत काश्तकार मौके पर वास्तविक भौतिक रूप से काबिज चले आ रहे है। राजस्व रिकोर्ड में नामान्तकरण सं0 62 दिनांक 27.10.72 के आधार पर खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 ने अपने नाम दर्ज करा लेने से उसकी नियत खराब हो गयी ओर वह अपने उद्वेश्य में कब्जा करने में कामयाब न होने व उसने बिना कब्जें गलत खातेदारी के आधार पर जरिये नुमाईशी बेचान पत्र दिनांक 11.09.12 को प्रतिवादी सं0 2 व 3 को 11,00,000 रूपये प्रतिफल अंकित करते हुये उप पंजीयक रेनवाल के यहा निष्पादित/ पंजीकृत करा दिया जबकि विक्रय अनुसार न तो कब्जा प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी सं0 2 व 3 को दिया न विक्रय के दिन प्रतिवादी सं0 1 का कोई कब्जा था अपितु वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट व उसके बाद काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय पहले जोरसिंह का व उसके बाद वादीगण सं0 1 लगा0 4 का मुतवातिर चला आ रहा है अतः वादी कथित बेचान पत्र दिनांक 11.09.12 एवं उसके आधार पर खुलाये गये नामान्तकरण सं0 373 दिनांक 20.09.12 से कतई पाबंद नहीं है व कथित बेचान बमुकाबलें वादी बातिल व बेअसर होने से शून्य है। राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम दर्ज हो जाने से अब वह बलपूर्वक कब्जा करने व वादीगण को बेदखल करना चाहते है इस गरज से दिनांक 25.09.12 को प्रतिवादी सं0 2 व 3 प्रतिवादी सं0 1 को साथ लेकर विवादग्रस्त आराजी पर आये व कब्जा करने व वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी व नामान्तकरण के आधार पर अन्य को विक्रय करने की धमकी दी व वादीगण के अधिकारों से इंकार किया इसलिए वादीगण ने उक्त वाद पेश किया है जो डिक्री किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। वादीगण ने अपने वाद को साबित करने के लिए खसरा गिरदावरीया, लगान की रसीदें एवं पडौसी खातेदारों के मौखिक साक्ष्य भी करवाये गये है। पत्रावली मे प्रस्तुत खसरा गिरदावरीयों से वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त होना अंकित किया है तथा विवादग्रस्त आराजीयात का लगान भी वादीगण द्वारा अदा किया जाना साबित होता है जो मौखिक साक्ष्य में गवाहान उपस्थित हुए है उनके द्वारा भी विवादित आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है प्रतिवादी सं0 1 ने अपने नाम गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर विवादित आराजीयात का बेचान किया है वह कतई गलत है क्योकिं प्रतिवादी सं0 1 को विवादित आराजीयात का बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात् वादीगण के वाद का विरोध नहीं किया है ना ही उनके द्वारा कोई जवाब दावा वाद में प्रस्तुत किया है एंवम् वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य का खण्डन भी उनके द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 115 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 मुण्डियागढ़ गि0ह0 रेनवाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज. का वादीगण को संयुक्त रूप से समान भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बेचान पत्र दिनांक 11.09.12 से वादीगण कतई पाबन्द नहीं है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खं0नं0 115 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम प्रतापपुरा तहसील कि0रेनवाल में वादीगण के कब्जें काश्त में मजाहमत उत्पन्न न करे।

मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तह0 कि0रेनवाल को आदेश प्रदान किये जाते है। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 18/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता मीणा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल

बइजलास :– सुनीता मीणा आर.ए.एस.

1. नारायणसिंह पुत्र जोरसिंह
2. गणपतसिंह पुत्र जोरसिंह
3. गंगासिंह पुत्र जोरसिंह
4. गोविन्दसिंह पुत्र जोरसिंह

समस्त जाति राजपूत नि0 प्रतापपुरा तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.

वादीगण

बनाम

1. रतनकंवर बेवा छोगसिंह जाति राजपूत नि0 प्रतापपुरा (नाम हजफ)
2. मुकेश शर्मा पुत्र भंवरलाल शर्मा बागड़ा ब्राहमण नि0 नांदरी तहसील कि0रेनवाल
3. रमेश कुमार चौधरी पुत्र भगवानसहाय जाति जाट नि0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.
4. तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नंबर 313/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लक्ष्मणसिंह व हाजरी श्री .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 115 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 मुण्डियागढ़ गि0ह0 रेनवाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज. का वादीगण को संयुक्त रूप से समान भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बेचान पत्र दिनांक 11.09.12 से वादीगण कतई पाबन्द नहीं है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खं0नं0 115 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम प्रतापपुरा तहसील कि0रेनवाल में वादीगण के कब्जें काश्त में मजाहमत उत्पन्न न करे। निज .....–..... मुबलिग.....–..... बाबत्.....–.. .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....–.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 07 सन् 20 को जारी की गई।

(सुनीता मीणा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़रेनवाल